राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(02) राज/वाद/24 जयपुर दिनांक **03.02.2024**

:: आदेश ::

भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से **श्री राजेन्द्र प्रसाद** (एडवोकेट एनरोलमेन्ट न. आर/254/1985) को कार्यभार संभालने की तिथि से राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। महाधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर में रहेगा। इनकी नियुक्ति संबंधी सामान्य निबन्धन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक नियमानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार होंगे। महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त "दि राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैन्युअल" की धारा 7, 8 व 9 एवं राजकीय वादकरण नीति (समय–समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों की भी पालना करेंगे।

आज्ञा से

03/02/2024
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री ।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय,जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय,जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

13. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज–पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित, महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

03/02/2024

प्रमुख शासन सचिव, विधि